प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 05 अक्टूबर, 2020

विषय: मेसर्स नंगलामल शुगर काम्प्लेक्स डिस्टिलरी डिवीजन (ए यूनिट आफ मवाना शुगर्स लिमिटेड) , नंगलामल , जनपद मेरठ की क्षमता वर्ष में 300 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस स्वीकृत करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 360 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 420 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-41/दो-प्रा.डी.-104, दिनांक 17.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव तथा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स नंगलामल शुगर काम्प्लेक्स डिस्टिलरी डिवीजन (ए यूनिट आफ मवाना शुगर्स लिमिटेड), नंगलामल, जनपद मेरठ की क्षमता वर्तमान प्रतिदिन 1.2 लाख लीटर अल्कोहल उत्पादन यथावत रखते हुये आसवनी की स्वीकृत कार्यकारी दिवस 300 दिन से बढ़ाकर 350 दिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 360 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 420 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तारित क्षमता के अनुसार अल्कोहल उत्पादन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in